न्यायालयः— अंचल अधिकारी, काँके (राँची)।

नोटिस   विविध वाद 12/21-22

श्री अतीत कुमार लोहरा
पिता— महेन्द्र लोहरा
ग्राम— कदमा, थाना— काँके,
जिला— राँची।

बनाम्

1. श्री बिरसा लोहार
   पिता— स्व0 जगतीया लोहार
2. श्री लालु लोहार
   ग्राम— कदमा, थाना— काँके,
   जिला— राँची।

बजरिये इस नोटिस के आपको सूचित किया जाता है कि प्रथम पक्ष श्री अतीत कुमार लोहरा, पिता— महेन्द्र लोहरा के द्वारा अंचल कार्यालय, काँके में आवेदन समर्पित किया गया है। प्रथम पक्ष के आवेदनानुसार मौजा— कदमा के खाता सं0— 14 का खतियानी रैयत टीमन लोहार वगैरह के नाम से दर्ज है जो पूर्णतः लोहरा जनजाति के खाता से संबंधित है एवं खाता सं0— 14 के आधार पर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत होता रहा है। जिसके कारण खाता सं0— 14 के खतियानी रैयत के वंशज अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ लेते हुए सरकारी एवं अर्द्धसरकारी नौकरियों में सेवा दे रहे हैं। ज्ञात हो कि अनुसूचित जनजाति का जमीन छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन आता है। किन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा खाता सं0— 14 के खतियानी रैयत के वंशज अनुसूचित जनजाति की पहचान छुपाकर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 का उलंघन कर जमीन बेच दी है। उक्त के आलोक में द्वितीय पक्ष द्वारा बिक्री की गई जमीन की जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 16/4/22 को प्रश्नगत भूमि के दावा से संबंधित मूल कागजात/दस्तावेज के साथ स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

कार्यालय अंचल अधिकारी काँके (राँची)

अंचल अधिकारी
काँके, राँची।

CamScanner

न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)।

विविध वाद संख्या– 28/2021–22

अतीत कुमार लोहरा .... वादी

बनाम्

बिरसा लोहार एवं अन्य ....प्रतिवादी

आदेश पत्रक

मौजा– कदमा

कार्रवाई के आदेश की तिथि	न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यालय आदेश एवं दिनांक
16/03/22	आवेदक अतीत कुमार लोहरा पिता– महेन्द्र लोहरा पता– कदमा के द्वारा प्राप्त आवेदन मौजा– कदमा, खाता सं0– 14 से संबंधित जमाबंदी को रद्द करने हेतु आवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। 16/03/22 अंचल अधिकारी, काँके, राँची।	
15/10/22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(C) No. 4758/2021 दशरथ प्रसाद शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में वाद को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदंन एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(C) No. 4758/2021 दशरथ प्रसाद शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 15/10/22 अंचल अधिकारी, काँके, राँची। 15/10/22 अंचल अधिकारी, काँके, राँची।	

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.06.10 14:22:00 +05:30
Location: 192.168.29.226

CamScanner